

पत्रांक-1/ब0 1-11/2025-224/

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,  
कटिहार।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अंतर्गत निधि का आवंटन। पटना दिनांक 15/12/2026

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 706 दिनांक 21.01.2026 के आलोक में कटिहार जिला में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र का माह दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक के मकान किराये के भुगतान के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-08 के अधीन राज्य स्कीम बजट शीर्ष '2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन', विपत्र कोड 08-2205001020101, के अन्तर्गत विषय शीर्ष 2002-कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार में तत्काल कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 227/वि0, दि0 28.03.2025 एवं 235 दिनांक 01.04.2025 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 100 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, कटिहार द्वारा जिला कोषागार, कटिहार से की जायेगी तथा राशि का व्यय बिहार वित्तीय संशोधन नियमावली 2024, बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार खरीद अधिमानता नीति के संगत प्रावधान के आलोक में की जायेगी।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6 उक्त आवंटन की व्यय विवरणी शीघ्र भेजे।

विश्वासभाजन,



(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 15/12/2026

कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक



सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 15/12/2026

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय/मेकर  
कटिहार को विभागीय वेबसाईट पर



सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 224/

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार,

ज्ञापांक 224/

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, बजट शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।